राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 87 / 2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022 / 176
दायर दिनांक– 21.12.2022
निर्णय दिनांक– 12.07.2023

1. उगमा पुत्र किशना
2. लिखमा पुत्र किशना
सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम पालड़ीभोपतान, तहसील रूपनगढ़

....वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व धारा–'88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी, अधि0 वादीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम पालड़ीभोपतान पटवार हल्का भदूण, भू–अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार ख0न0 240 रकबा 8.9232 हैक्ट. भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि में वादीगण के पिता का नाम हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार निहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दीपा दर्ज है, जो सहवन से गलत दर्ज हो गया है। वादीगण के पिता का सही एवं वास्तविक नाम किशना है, जो लिपिकीय त्रुटिवश दीपा अंकन हो गया है। वादीगण के पिता का सही एवं वास्तविक नाम किशना इन्द्राज कर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करना चाहते है। वादीगण के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, अन्य जमावंदी में ख0न0 155, 242 आदि दस्तावेजों में वादीगण का नाम किशना दर्ज है। वादीगण की कृषि भूमि में पिता की नाम गलत इन्द्राज हो जाने से किसान कार्ड बनवाने व सरकारी सुविधाए प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी 12.7.22
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी पैरोकार सरकार (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया है। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण के पिता का नाम अन्य जमाबंदियां ख0न0 155 व 242 आदि में सही नाम किशना दर्ज है। इसके साथ ही वादी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजों यथा– आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र आदि में किशना दर्ज है। इसलिए वाद वर्णित आराजी में वादीगण के पिता का नाम दीपा के स्थान पर किशना दर्ज के आदेश फरमावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही वहस के तथ्य मानने हेतु सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजों का अवलोकन व बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, अन्य जमाबंदियों के दस्तावेजों एवं उभयपक्ष की बहस के आधार पर वादीगण का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 व धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर किया जाकर वादीगण की ग्राम पालड़ीभोपतान के ख0न0 240 रकबा 8.9232 हैक्ट. भूमि में वादीगण के पिता का दर्ज नाम दीपा के स्थान पर किशना दर्ज किये जाने के करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री–पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

12.7.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर रूपनगढ़
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 87/22

1. उगमा पुत्र किशना
2. लिखमा पुत्र किशना

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम पालड़ीभोपतान, तहसील रूपनगढ़

.....वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

....प्रतिवादी

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस व् हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर डिक्री किया जाकर ग्राम पालड़ीभोपतान के ख0न0 240 रकबा 8.9232 हैक्ट. भूमि में वादीगण के पिता का दर्ज नाम दीपा के स्थान पर किशना दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.07.2023 को जारी की गई।

12.7.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर रूपनगढ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:42 IST
Reason: SelfAttested